

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(मू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय)

संख्या :- 17-आवंटन(योजना-0101)-141/2017.....

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार मिश्र, मा0प्र0से0
निदेशक,
मू-अभिलेख एवं परिमाण,
बिहार, पटना।

सेवा में,

समाहर्ता-सह-बंदोबस्त पदाधिकारी,
मधेपुरा, भागलपुर, किशनगंज, दरभंगा
कटिहार एवं सारण (छपरा)

पटना, दिनांक :

विषय :-

मुख्य शीर्ष - 2029 - भू-राजस्व -उप मुख्य शीर्ष - 00 - लघु शीर्ष - 102 -
सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त कार्य - उप शीर्ष - 0101 - सर्वेक्षण और बन्दोबस्त कार्य का
पुनरीक्षण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में निधि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु आपके अधीनस्थ कार्यालय को उपर्युक्त बजट शीर्ष के अन्तर्गत संलग्न विवरणी के अनुसार कुल 4,06,93,284/- (चार करोड़ छः लाख तिरानवे हजार दो सौ चौरासी) रुपये मात्र का आवंटन निर्गत किया जाता है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक - 2561 दिनांक 17.04.1998, राज्यादेश संख्या 1184 दिनांक 03.07.2015 एवं राज्यादेश संख्या 688 दिनांक 19.05.2017 के आलोक में निर्गत किया जाता है।
3. अनुरोध है कि व्यय को आवंटन के अन्तर्गत रखते हुए राशि की निकासी की जाय।
4. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों को मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष/इकाई कोड/माँग संख्या - 40 एवं विपत्र कोड 40 - 2029001020101 अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से करने होंगे ताकि अनियमितता की संभावना नहीं रहे।
5. यह आवंटन आदेश वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय होने वाली वेतनादि मद एवं अन्य मद के लिए निर्गत किया जाता है।
6. आवंटित राशि की मासिक व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक एवं त्रैमासिक व्यय विवरणी नियमित रूप से मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।
7. बिहार वित्तीय नियामवली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाय ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सकें।
8. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

9. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाणपत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
10. इसकी सूचना महालेखाकार(ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को ही दी जा रही है।
11. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।
12. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह0/-

(वीरेन्द्र कुमार मिश्र)

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

पटना, दिनांक

ज्ञापांक :- 17-आवंटन(योजना-0101)-141/2017.....

प्रतिलिपि (अनुलग्नक सहित) :- महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना (बजट शाखा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

पटना, दिनांक

निबंधित

ज्ञापांक :- 17-आवंटन(योजना-0101)-141/2017.....

प्रतिलिपि (अनुलग्नक सहित) :- कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, मधेपुरा, भागलपुर, किशनगंज, दरभंगा कटिहार एवं सारण (छपरा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

पटना, दिनांक

ज्ञापांक :- 17-आवंटन(योजना-0101)-141/2017.....

प्रतिलिपि (अनुलग्नक सहित) :- संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

पटना, दिनांक 26/9/17

ज्ञापांक :- 17-आवंटन(योजना-0101)-141/2017..[837/17]

प्रतिलिपि (अनुलग्नक सहित) :- आई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना एवं श्री संतोष कुमार, लेखापाल, बी0पी0एम0यू0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय, बिहार, पटना।

मुख्य शीर्ष - 2029 - भू-राजस्व - उपमुख्य शीर्ष - 00 - लघु शीर्ष - 102 - सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त कार्य - उपशीर्ष - 0101 - सर्वेक्षण और बन्दोबस्त कार्य का पुनरीक्षण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में निधि का आवंटन :-

क्र०	बन्दोबस्त कार्यालय का नाम	01 01	01 03	01 04	01 05	01 06	01 07	02 01	05 01	11 01	13 01	13 02	13 03	13 04	13 06	13 10	14 01	28 02	कुल बोन
		वेतन	जीवन सापन भता	मकान किराया भता	परिवहन भता	शिकिरता भता	अन्य भता	मजदूरी	शिकिरता प्रविष्टि	यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	बाहन का इंधन एवं रख रखाव	दुरभाष	विद्युत खर्च	बर्दा पोशाक	माढ़े की माड़ी का मुजतान	किराया महसूल एवं कर	सविदा सेकर	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
1	मधेपुरा	8238245	378033	231760	—	27600	—	30000	—	—	150000	—	—	—	—	—	—	375000	9428638
2	भागलपुर	6885176	1052845	296471	3600	26600	7500	200000	—	50000	500000	—	20000	12000	25000	220000	60000	—	9359192
3	किशनगंज	756000	900000	108000	—	9600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100000	1873600
4	दरभंगा	4000000	200000	320000	—	45000	1500	—	63354	35000	—	—	—	—	—	—	—	—	4684854
5	कटिहार	3000000	—	—	—	—	—	—	—	100000	522000	100000	5000	—	5000	200000	—	—	3932000
6	सारण (छपरा)	2000000	80000	340000	—	15000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9000000	11435000
कुल योग		24879421	2608878	1296231	3600	123800	9000	230000	63354	185000	1172000	100000	25000	12000	30000	420000	60000	9475000	40693284

(चार करोड़ छः लाख तिरानवे हजार दो सौ चौरासी रूपये मात्र)

26/9/17
(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),
निदेशक,
भू-अभिलेख एवं परिमाण,
बिहार, पटना